

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 968/2022

अनवान : -

1. भूपसिंह पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. साहबराम पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. सोहनलाल पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. लादुराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. मनीष कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. आशीष कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. कृष्णा पुत्री लाधुराम पत्नी राजेराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. शारदा पुत्री भूपसिंह पत्नी सन्दीप कुमार जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. किरण पुत्री भूपसिंह पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. कमला पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर
8. रेणु पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
9. मंजू पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
10. प्रियंका पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0
अधि0 1955


उपस्थिति :- श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: -06/03/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 800/479 के खसरे 30 का कुल क्षेत्रफल 6.1040 है0 व खाता संख्या 481/470 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 1.8840 है0 भूमि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 728/155 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.7460 है0 भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ब0 हि0 ब0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म जात हक हिस्सा है। उपरोक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 7 वादीगण की बहिन है प्रतिवादीया संख्या 8  संख्या 2 की बहिन है तथा 9 ता 10 जो कि वादी संख्या 1 की पुत्रिया है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा

01
उपखण्डाधिकारी (राजस्थान)
नोहर (हनुमानगढ)

नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पिता व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग वादीगण व प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि का पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 728/155 की कुल 1.746 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ब० हि० ब० काबिज है। व रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 481/470 की कुल 1.884 है० भूमि में वादी संख्या 3 काबिज है व रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 800/479 के प० नं० 309/410 (203) के किला नं. 1 के मिन उत्तर की 0.191 है०, 2 के मिन उत्तर की 0.191 है०, 3/2 के मिन उत्तर की 0.212 है०, 3/1 की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, 4/1 की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, 4/2 के मिन उत्तर पश्चिम की 0.200 है०, 4/2 के मिन पूर्व की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, 5/1 की 0.026 है० गै० मु० रास्ता, 5/4 की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, 5/5 की 0.214 है० कुल 1.086 है० भूमि पर वादी संख्या 3 काबिज है व प० नं० 308/411 (230) के किला नं. 1 ता 4 की 1.012 है० व प० नं० 309/410 (203) के किला नं. 21 ता 24 की 1.012 है० व किला नं. 17 ता 18 प्रत्येक के मिन दक्षिण की 0.1470 है० व किला नं. 19 व 20 प्रत्येक के मिन दक्षिण की 0.1480 है० कुल तादादी 2.614 है० भूमि पर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ब० हि० ब० काबिज है तथा प० नं० 309/410 (203) के किला नं. 17 के मिन उत्तर पश्चिम की 0.099 है०, किला नं. 17 के मिन उत्तर पूर्व की 0.007 है० गै० मु० रास्ता, किला नं. 18 के मिन उत्तर की 0.106 है०, 19 ता 20 प्रत्येक के मिन उत्तर की 0.105 है० व किला नं. 11 ता 13 की 0.759 है०, किला नं. 14 के मिन पश्चिम की 0.240 है० व 14 मिन पूर्व की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, 15/3 की 0.091 है०, 8 ता 10 की 0.759 है०, 7 के मिन पश्चिम की 0.240 है०, व 7 के मिन पूर्व की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, किला नं. 1 मिन दक्षिण की 0.0280 है०, 2 की 0.0280 है०, 3/1 मिन दक्षिण की 0.028 है०, 4/2 के मिन दक्षिण की 0.027 है० कुल तादादी 2.648 है० भूमि पर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ब० हि० ब० काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 10 ने न्यायालय में

उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है पक्षकारान का मौखिक राजीनामा हो चुका मुताबिक बाहमी राजीनामा वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।


पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 800/479 के खसरे 30 का कुल क्षेत्रफल 6.1040 है0 व खाता संख्या 481/470 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 1.8840 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 728/155 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.7460 है0 भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ब0 हि0 ब0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया संख्या 7 ता 10 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि

रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 481/470 की कुल 1.8840 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 800/479 के प० नं० 309/410 (203) के किला नं. 1/1/1 के मिन उत्तर की 0.105 है०, 2/1/1 के मिन उत्तर की 0.104 है०, 3/1 की 0.013 हैक्ट गै०मु० रास्ता, 3/2/1 के मिन उत्तर की 0.215 है०, 4/1 की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, 4/2/2 की 0.012 है० गै० मु० रास्ता, 4/2/3 की 0.202 है०, 5/1 की 0.026 है० गै० मु० रास्ता, 5/4 की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, 5/5 की 0.214 है० कुल 0.917 है० भूमि का वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प० नं० 309/411 (230) के किला नं. 1 ता 4 की 1.012 है० व प० नं० 309/410 (203) के किला नं. 17/1 की 0.146 हैक्ट, 18/1 की 0.146 हैक्ट, 19/1 की 0.146 हैक्ट, 20/1 की 0.146 हैक्ट, किला न० 21 ता 24 की 1.0120 हैक्ट कुल तादादी 2.608 है० भूमि का वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 को ब० हि० ब० को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा प० नं० 309/410 (203) के किला नं. 1/1/2 की 0.025 हैक्ट, 2/1/2 की 0.025 हैक्ट, 3/2/2 की 0.025 हैक्ट, 4/2/1 की 0.026 हैक्ट, 7/1 की 0.240 हैक्ट, 7/2 की 0.013 हैक्ट गै०मु० रास्ता, किला न० 8 ता 13 की 1.5180 हैक्ट, 14/1 की 0.240 हैक्ट, 14/2 की 0.013 हैक्ट गै०मु० रास्ता दक्षिण, 15/3 की 0.091 हैक्ट, 17/2 की 0.006 हैक्ट गै०मु० रास्ता, 17/3 की 0.101 हैक्ट, 18/2 की 0.107 हैक्ट, 19/2 की 0.107 हैक्ट, 20/2 की 0.107 हैक्ट कुल 2.644 हैक्ट भूमि का वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 728/155 की कुल 1.7460 है० भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (पंकज गढ़वाल R.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर
 नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 968/2022

अनवान : -

1. भूपसिंह पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. साहबराम पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. सोहनलाल पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. लादुराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. मनीष कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. आशीष कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. कृष्णा पुत्री लाधुराम पत्नी राजेराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. शारदा पुत्री भूपसिंह पत्नी सन्दीप कुमार जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. किरण पुत्री भूपसिंह पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. कमला पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर
8. रेणु पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
9. मंजू पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
10. प्रियंका पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 968 सन 2022 निर्णय दिनांक - 04/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 481/470 की कुल 1.8840 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 800/479 के प० नं० 309/410 (203) के किला नं. 1/1/1 के मिन उत्तर की 0.105 है०, 2/1/1 के मिन उत्तर की 0.104 है०, 3/1 की 0.013 हैक्ट गै०मु० रास्ता, 3/2/1 के मिन उत्तर की 0.215 है०, 4/1 की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, 4/2/2 की 0.012 है० गै० मु० रास्ता, 4/2/3 की 0.202 है०, 5/1 की 0.026 है० गै० मु० रास्ता, 5/4 की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, 5/5 की 0.214 है० कुल 0.917 है० भूमि का वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प० नं० 309/411 (230) के किला नं. 1 ता 4 की 1.012 है० व प० नं० 309/410 (203) के किला नं. 17/1 की 0.146 हैक्ट, 18/1 की 0.146 हैक्ट, 19/1 की 0.146 हैक्ट, 20/1 की 0.146 हैक्ट, किला न० 21 ता 24 की 1.0120 हैक्ट कुल तादादी 2.608 है० भूमि का वादी संख्या 2 व

अ
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रतिवादी संख्या 3 को ब0 हि0 ब0 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा प0 नं0 309/410 (203) के किला नं. 1/1/2 की 0.025 हैक्ट, 2/1/2 की 0.025 हैक्ट, 3/2/2 की 0.025 हैक्ट, 4/2/1 की 0.026 हैक्ट, 7/1 की 0.240 हैक्ट, 7/2 की 0.013 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, किला न0 8 ता 13 की 1.5180 हैक्ट, 14/1 की 0.240 हैक्ट, 14/2 की 0.013 हैक्ट गै0मु0 रास्ता दक्षिण, 15/3 की 0.091 हैक्ट, 17/2 की 0.006 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 17/3 की 0.101 हैक्ट, 18/2 की 0.107 हैक्ट, 19/2 की 0.107 हैक्ट, 20/2 की 0.107 हैक्ट कुल 2.644 हैक्ट भूमि का वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 728/155 की कुल 1.7460 है0 भूमि मे वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर